अनुबंध 2ए

एजेंसी बैंक द्वारा प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि दावा किए गए एजेंसी कमीशन की राशि ₹ ..... (रुपये**.....)** जैसा कि केंद्रीय/राज्य सरकारों/भारतीय रिज़र्व बैंक के लेखांकन प्राधिकारियों को प्रस्तुत किए गए सरकारी लेन-देनों की दैनिक नामावली और बैंक में उपलब्ध अन्य अभिलेखों के अनुसार**,** प्राप्तियों और पेंशन भुगतानों के संबंध में लेन-देनों की संख्या और 'पेंशन के अलावा भुगतान' के संबंध में लेन-देन की राशि को ध्यान में रखकर सही ढंग से निर्धारित की गई है और उपर्युक्त राशि की गणना करते समय भारतीय रिज़र्व बैंक के मास्टर परिपत्र "एजेंसी बैंकों द्वारा सरकारी कारोबार को संचालित करना-एजेंसी कमीशन का भुगतान" में निर्दिष्ट पात्र मदें ही ली गयी है। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वर्तमान दावे में शामिल लेनदेन के लिए एजेंसी कमीशन का दावा केवल एक बार किया गया है।

2**.** हम यह भी प्रमाणित करते हैं कि केंद्र/राज्य सरकारों की ओर से सरकारी प्राप्तियों (कर और गैर-कर दोनों) के संग्रहण को विधिवत स्क्रॉल किया गया है और निधियों को भारतीय रिज़र्व बैंक को विप्रेषित किया गया है तथा जिस अवधि के लिए एजेंसी कमीशन का दावा किया जा रहा है**,** उससे संबंधित स्क्रॉल के लिए कोई भी लेनदेन बैंक के पास लंबित नहीं है।

3. साथ ही**,** हम प्रमाणित करते हैं कि हमारे पास उपलब्ध पात्र पेंशनरों के खाता का माहवार ब्योरा निम्नलिखित सारणी के अनुसार है और प्राप्ति लेन-देनों की संख्या जिसके लिए एजेंसी कमीशन का दावा किया गया है वह बैंक की कर देयताओं से संबंधित लेन-देनों और आयकर अधिनियम के विभिन्न मदों के अंतर्गत स्रोत पर कर की कटौती से अलग हैं ।

क्र.सं.	**माह**	**पेंशनरों की संख्या**
1		
2		
3		

हस्ताक्षर, **प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम और पदनाम और बैंक का सील**